माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय

(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)

MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION

(Setup by Act No.15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्रमांक/परीक्षा/गो.प्रायोगिक/2104 भोपाल, दिनांक 08/01/2019

:: संशोधन आदेश ::

(विशेष एवं सामान्य प्रायोगिक परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण)

विश्वविद्यालय की प्रायोगिक परीक्षा संपन्न कराने के लिए विशेष एवं सामान्य प्रायोगिक परीक्षा केन्द्रों के नियमों का पुनः निर्धारण करने हेतु गठित समिति द्वारा दी गई अनुशंसाओं के आधार पर उपरोक्त विषय में निम्नानुसार संशोधन किये जाते है :-

	पूर्व निर्धारित मानदण्ड		वर्तमान संशोधित मानदण्ड
1.	कम्प्यूटर पाठ्यक्रम हेतु सामान्य प्रायोगिक परीक्षा केन्द्र बनाने हेतु न्यूनतम छात्र संख्या 100 एवं विशेष प्रायोगिक परीक्षा केन्द्र बनाने हेतु न्यूनतम छात्र संख्या 50 रहेगी।	1.	कम्प्यूटर पाठ्यक्रम हेतु **सामान्य प्रायोगिक परीक्षा** केन्द्र बनाने हेतु **न्यूनतम छात्र संख्या 80** कर दी जाती है एवं **विशेष प्रायोगिक परीक्षा** केन्द्र बनाने हेतु **न्यूनतम छात्र संख्या 30** कर दी जाती है।
2.	मीडिया पाठ्यक्रम हेतु सामान्य प्रायोगिक परीक्षा केन्द्र बनाने हेतु न्यूनतम छात्र संख्या 25 एवं विशेष प्रायोगिक परीक्षा केन्द्र बनाने हेतु न्यूनतम छात्र संख्या 15 रहेगी।	2.	मीडिया पाठ्यक्रम हेतु सामान्य प्रायोगिक परीक्षा केन्द्र बनाने हेतु न्यूनतम छात्र संख्या 25 एवं विशेष प्रायोगिक परीक्षा केन्द्र बनाने हेतु न्यूनतम छात्र संख्या 15 यथावत् (कोई परिवर्तन नही) रखी जाती है।
3.	कम्प्यूटर पाठ्यक्रम के लिए विशेष प्रायोगिक परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु पेमेंट शुल्क 6,000/- था।	3.	कम्प्यूटर पाठ्यक्रम के लिए **विशेष प्रायोगिक परीक्षा केन्द्र** निर्धारण हेतु **पेमेंट शुल्क 8,000/-** किया जाता है।
4.	मीडिया पाठ्यक्रम के लिए विशेष प्रायोगिक परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु पेमेंट शुल्क 5,000/- था।	4.	मीडिया पाठ्यक्रम के लिए विशेष प्रायोगिक परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु पेमेंट शुल्क 5,000/- यथावत् (कोई परिवर्तन नही) रखा जाता है।

प्रायोगिक परीक्षा केन्द्र का निर्धारण छात्रों की नियमित संख्या के आधार पर किया जाएगा एवं परीक्षा केन्द्र उसी स्थान पर बनाये जायेंगे, जहां पर सैद्धांतिक परीक्षा केन्द्र हो। **उक्त संशोधन परीक्षा सत्र मई/जून-2019 से लागू होंगे**। प्रायोगिक परीक्षा केन्द्र के लिए निर्धारित बाकी नियम पूर्व की भांति रहेंगे।

(प्रो. संजय द्विवेदी)
कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त प्रभारी, संबंद्ध अध्ययन केन्द्र को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
2. प्रभारी, वेबसाईट को वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

(प्रो. संजय द्विवेदी)
कुलसचिव

बी-38, विकास भवन, डाक भवन के सामने, प्रेस काम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी. नगर, भोपाल - 462011, फोनः(0755) 4294322, 4294903 फैक्सः(0755) 4056935
B-38, Vikas Bhawan, Near Dak Bhawan, Press Complex, Zone-1, M.P. Nagar, Bhopal-462011, Phone-(0755)-4294322, 4294903
Fax:(0755) 4056935
Website – www.mcu.ac.in